प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

श्री सतेन्द्र कुमार तोमर,
पुत्र श्री तेज सिंह तोमर,
निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम,
तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

संख्या: /उ0ख0/मा0प्लान/नैनीताल/2016–17 **दिनांक** 18 **अक्टूबर, 2018**

विषयः– श्री सतेन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बमोरी तल्ली खाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौर्सा क्षत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.00 है0 भूमि में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौर्सा क्षत्रान्तर्गत कुल रकवा 6.00 है0 भूमि जोकि ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आपके पक्ष में घोषित एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 799/VII-1/2018/6–ख/2018 दिनांक 15 मई, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्डर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) पर आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो कि आर0क्यू0पी0 श्री हरीश कैन्थोला मु0ख0/05/खनन/आर0क्यू0पी0/2015–16 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:–

शर्तें

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन नियमावली के नियम–28 "क" (18) के अनुसार आशयपत्रधारक के पक्ष में शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किये जाने पर तत्समय शासनादेश में वर्णित अवधि तक के लिये वैध होगा।
2. आशयपत्र धारक द्वारा सक्षम स्तर से प्रश्नगत खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तद्नुसार प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 799/VII-1/2018/6–ख/2018 दिनांक 15 मई, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बालू, बजरी, बोल्डर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।
4. पट्टाधारक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त पट्टाधरक द्वारा पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश एवं पट्टाविलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
5. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लास्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0

तक 132000.00 टन, द्वितीय वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन, तृतीय वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन, चतुर्थ वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन एवं पंचम वर्ष में आर0एल0 635.00 मी0 से आर0एल0 648.00 मी0 तक 132000.00 टन, उपखनिज का खनन किया जायेगा।

7. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।
8. पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) एवं अनुमोदित खनन योजना मे दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
9. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज की निकासी किये जाने से पूर्व उत्तरखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish एंव Consent to operate प्राप्त किया जाना अपरिहार्य/अनिवार्य होगा।
10. प्रश्नगत खनन पट्टाक्षेत्र के नेशनल पार्क/सेन्चुरी के 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत स्थिति होने की दशा में पट्टाधारक द्वारा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाईफ से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
11. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
12. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।
13. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
14. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
15. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
16. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के जनपदीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
17. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, आवेदक के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेंगे।

संलग्नकः– खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक

संख्याः 945/मा0प्लान/उ0खनि0/नैनीताल/2016–17 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. उपनिदेशक खनन/जिला खान अधिकारी, नैनीताल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक